



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

{ Fax: 0141-2385027(O), E-Mail ID: rajpr\_dsplan@rediffmail.com

क्रमांक: एफ.40 परावि / आप्र / डीपीसी / 15 / 429

जयपुर, दिनांक: 27/4/2015


::आदेश::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 (सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 350) के अनुसरण में जिला भीलवाडा के लिए जिला आयोजना समिति का निम्नानुसार गठन/पुनर्गठन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य	निर्वाचित / नामित
1.	श्री पीरचन्द सिंघवी	अध्यक्ष	-
2.	श्री हिरण्य गर्भ (हेम)	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
3.	श्री अनिल डॉंगी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
4.	श्री गिरधारी लाल भील	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
5.	श्रीमती सरोजना मीणा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
6.	श्रीमती बिन्दु देवी बूलीवाल	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
7.	श्री शक्ति सिंह हाडा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
8.	श्री महेन्द्र कुमार वर्मा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
9.	श्री हनुवन्त सिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
10.	श्रीमती ज्योति लढा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
11.	श्रीमती सीमा जाट	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
12.	श्रीमती प्रियंका गुर्जर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
13.	श्रीमती पिंकी देवी टांक	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
14.	श्रीमती ममता कीर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
15.	श्री प्रभू लाल खटीक	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
16.	श्री प्रकाश चन्द सांगावत	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
17.	श्री रूप लाल जाट	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)


जिला आयोजना समिति में निर्वाचित 20 सदस्यों के अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें जिले के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्थाई सदस्य है। दो सदस्यों (माननीय लोक सभा / विधान सभा / गैर स्वयं सेवा संथा के सदस्यों) का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। मुख्य आयोजना अधिकारी जिला आयोजना समिति के सचिव रहेंगे।

जिला परिषद एवं स्थानीय निकायो के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रो की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किये गये सदस्य जिला आयोजना समिति के तब तक ही सदस्य रहेगे जब तक वे जिला परिषद/स्थानीय निकाय के सदस्य रहते है। शहरी क्षेत्र में सदस्यो के निर्वाचन के उपरान्त संशोधित आदेश किये जायेगे।

  
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1.विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3.निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर।
- 4.निजी सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
- 5.जिला कलेक्टर, जिला भीलवाडा।
- 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा।
- 7.अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा।
- 8.मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि जिला आयोजना समिति के सभी सदस्यो को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

  
संयुक्त शासन सचिव  
जिला आयोजना